रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072022-237239
CG-DL-E-11072022-237239

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3017] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2022/आषाढ़ 20, 1944
No. 3017] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2022/ASHADHA 20, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून,2022

का.आ. 3173(अ).—राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 10क के साथ पठित, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा न्यायमूर्ति श्रीमती पुष्पा सत्यनारायण, न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय को दिनांक 30 मार्च, 2022 से अर्थात् उक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार साल की अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(15)/2021-पीएल/एनजीटी]

सुजीत कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2022

S.O. 3173(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Tribunal Reforms Act, 2021 (33 of 2021) read with section 10A of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Justice Pushpa Sathyanarayana, Judge High

Court of Madras as the Judicial Member of the National Green Tribunal for a period of four years with effect from the 30th March, 2022 i.e. the date of her assumption of charge to the said post or up to attaining the age of sixty-seven years, whichever is the earliest.

[F. No. 17(15)/2021-PL/NGT]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून,2022

का.आ. 3174(अ).—राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 10क के साथ पठित, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दिनांक 14 अप्रैल, 2022 से अर्थात् उक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार साल की अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(15)/2021-पीएल/एनजीटी]

सुजीत कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2022

S.O. 3174(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Tribunal Reforms Act, 2021 (33 of 2021) read with section 10A of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Justice Dinesh Kumar Singh, retired Judge, High Court of Allahabad as the Judicial Member of the National Green Tribunal for a period of four years with effect from the 14th April, 2022 i.e. the date of his assumption of charge to the said post or up to attaining the age of sixty-seven years, whichever is the earliest.

[F. No. 17(15)/2021-PL/NGT]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून,2022

का.आ. 3175(अ).—राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 10क के साथ पठित, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को दिनांक 25 मार्च, 2022 से चार साल की अवधि के लिए अर्थात् उक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(15)/2021-पीएल/एनजीटी]

सुजीत कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2022

S.O. 3175(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Tribunal Reforms Act, 2021 (33 of 2021) read with section 10A of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Justice Arun Kumar Tyagi, retired Judge, High Court of Punjab and Haryana as the Judicial Member of the National Green Tribunal for a period of four years with effect from the 25th March, 2022 i.e. the date of his assumption of charge to the said post or up to attaining the age of sixty-seven years, whichever is the earliest.

[F. No. 17(15)/2021-PL/NGT]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.07.11 22:17:16 +05'30'